

**न्यायालय:- साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,**  
**चन्देरी जिला-अशोकनगर (म.प्र.)**

**दांडिक प्रकरण कं.-262 / 13**  
**संस्थापित दिनांक-06.08.2013**

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।	
.....अभियोजन	
<b>विरुद्ध</b>	
1- लखन उर्फ लाखन सिंह पुत्र दम्मे अहिरवार उम्र 27 साल निवासी - ग्राम विक्रमपुर तहसील चंदेरी जिला-अशोकनगर म0प्र0	
.....आरोपी	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा	:- श्री आलोक चौरसिया अधिवक्ता।

**-: निर्णय :-**

**(आज दिनांक 23.01.2017 को घोषित)**

**01-** आरोपी के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 341, 294, 324, 323 (दो-शीर्ष), 506 भाग 2 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 11.05.2013 को सुबह करीबन 6 बजे फरियादी के घर के सामने ग्राम विक्रमपुर थाना चंदेरी जिला अशोकनगर में फरियादी कमरलाल को उक्त दिशा में जाने से रोककर जिस दिशा में जाने का उसे अधिकार था सदोष अवरोध कारित किया एवं फरियादी को लोक स्थान पर मां - बहन की गंदी-गंदी गालियां देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी की धारदार कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की एवं खुमान की लाठी से व वंदना का हाथ मरोड़ कर मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर, आपराधिक अभित्रास कारित किया।

**02-** प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी, आहतगण एवं अभियुक्त के मध्य दिनांक 19.01.2017 को राजीनामा हो जाने से आरोपी लखन उर्फ लाखन सिंह को भा.द.वि की धारा 294, 341, 323 (दो-शीर्ष), 506 भाग 2 के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

**03-** अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी कमरलाल ने उसके लड़के खुमान व बहु वंदना के साथ चौकी विक्रमपुर में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि

दिनांक 11.05.2013 के सुबह करीब 6 बजे की बात है फरियादी मुंह हाथ धोकर घर को जा रहा था उसके घर में बकरी घुस आई थी, यह बात उसने शाम को लाखन की मां से कहने घर चला आया था कि अब उसके घर में बकरिया नहीं आए, इसी बात के उपर से लखन ने उसे मां बहन की गन्दी गन्दी गालिया देने लगा और बोला मेरी बकरी इसी प्रकार घर में घुसेगी, फरियादी कमरलाल ने गाली देने से मना किया तो उसे जमीन पर पटक दिया और जमीन में घसीट दिया जिससे उसके बांये हाथ के बाजू, कोहनी के पास छिल गया। उसे बचाने उसका लडका खुमान आया तो उसके एक लाठी मारी जो दाहिने हाथ के बाजू के उपर मुंदी चोट आई, उसका लडका खुमान जमीन पर गिर गया जिससे बांये कान, पीठ में छिल गया, उसकी बहू वंदना बचाने आई तो उसके भी लखन ने हाथ पकड़कर मरोड़ दिया जिससे बांये हाथ की चूड़ी टूटकर बैठ गई, खून निकल आया, मौके पर प्रभुराम एवं सुन्दरलाल ने बचाया। जब कमरलाल घर को आने लगा तो लखन ने उसके कुल्हाड़ी मारी जो उसके बांये हाथ की कोहनी में लगी खून निकल आया, जाते समय आरोपी बोल रहा था कि आज तो छोड़ देता हूँ आइन्दा मिला तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से चौकी विक्रमपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपी को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

**04—** अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्त की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

**05—** राजीनामा उपरांत प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :—

1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 11.05.2013 को सुबह करीब 6 बजे फरियादी के घर के सामने ग्राम विक्रमपुर थाना चंदेरी जिला अशोकनगर में फरियादी कमरलाल को धारदार कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?

**: : सकारण निष्कर्ष : :**

**06—** अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। घटना के संबंध में कमरलाल अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपी को जानता है। घटना करीब 2—3 साल पहले की होकर सुबह 7—8 बजे की है। घटना दिनांक को वह मुंह हाथ

धोकर घर जा रहा था तभी उसके घर में लखन की बकरी आ गई थी जिसपर से उसने लखन की मां को बताया था कि तुम्हारी बकरी उसके घर में घुस गई थी। इसी बात को लेकर लखन से गाली गलौच हो गई थी और गाली गलौच की आवाज सुनकर उसका लडका खुमान एवं बहू वंदना आ गयी थी जिसके साथ भी आरोपी की कहा सुनी हो गई थी और आपसी धक्का मुक्की में उसे व उसके बेटे खुमान एवं बहू वंदना को चोटे आ गई थी जिसके संबंध में उसके द्वारा चौकी विक्रमपुर में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जो प्र.पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस घटना स्थल पर आई और घटना का मानचित्र तैयार किया था जो प्र.पी. 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी तथा उसके पुत्र खुमान एवं बहू वंदना की चोटों का इलाज कराया था। इसके अलावा आरोपी ने उनके साथ कोई घटना कारित नहीं की।

**07—** अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसने गालियां देने से मना किया तो लखन ने उसे जमीन पर पटक कर घसीट दिया जिससे उसके बांये हाथ के बाजू एवं कोहनी के पास छिल गया था। इस बात से इंकार किया कि उसका लडका उसे बचाने आया तो उसको एक लाठी मारी जो उसके दाहिने हाथ के बाजू पर लगी मुंदी चोट आई जिससे लडका जमीन पर गिर गया और उसे बांये कान एवं पीठ में छिल गया। इस बात से इंकार किया कि उसकी बहू वंदना बचाने आई तो उसको भी लखन ने हाथ पकड़कर मरोड़ दिया जिससे बांये हाथ की चुड़ी टूट गई और खून निकल आया। इस बात से इंकार किया कि मौके पर प्रभूराम एवं सुन्दरलाल ने उन्हें बचाया था। कमरलाल अ0सा01 ने इस बात से इंकार किया कि जब वह घर से चलने लगा तो लखन ने रोककर कुल्हाड़ी मारी जो मेरे बांये हाथ की कोहनी में लगी खून निकल आया।

**08—** खुमान अ0सा02, वंदना अ0सा03 ने उनके न्यायालयीन कथनों में आरोपी को जानने वाली बात बताई किन्तु उन्होंने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया केवल उनके न्यायालयीन कथनों में बताया कि आरोपी से गाली गलौच एवं धक्का मुक्की हो गई थी जिससे उन्हें चोटे आई थी। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ था। अभियोजन अधिकारी द्वारा खुमान अ0सा02, वंदना अ0सा03 से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उसने इस बात से इंकार किया कि आरोपी लखन द्वारा कमरलाल को कुल्हाड़ी से मारा गया था जिससे कमरलाल को चोटे आई थी।

**09—** उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध आरोपी को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 11.05.2013 को सुबह करीबन 6 बजे फरियादी के घर के सामने ग्राम विक्रमपुर थाना चंदेरी जिला अशोकनगर में फरियादी कमरलाल को धारदार कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। अतः अभियुक्त **लखन उर्फ लाखन सिंह पुत्र दम्मे अहिरवार उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम विक्रमपुर तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर** को भा.द.वि. की धारा 324 के आरोप से दोषमुक्त किया

जाता है।

**10-** प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक लोहे की कुल्हाड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे, अपील होने पर माननीय अपीलिय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

**11-** अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर  
हस्ताक्षरित, दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0